कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2023 दि0 लखनऊः 27 **सितम्बर, 2023**

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशॉक 1176/2023 दिनांक 05–09–2023 के द्वारा वाराणसी में युगलपीठ का गठन **दिनांक 25–10–2023 से 28–10–2023** तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ गोरखपुर एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–4, वाराणसी को नामित किया गया था।

प्र0सदस्य पीठ–प्रथम, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 620 दिनांक 20–09–2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि **जिलाधिकारी, वाराणसी** द्वारा वर्ष 2023 के लिए निर्गत अवकाश सूची में **दिनांक 25–10–2023 को "नाटी इमली का भरत मिलाप"** का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके कारण उक्त दिवस को कार्यालय में अवकाश रहेगा।

उक्त परिस्थितिजन्य स्थिति के दृष्टिगत, सम्यक रूप से विचार करते हुए दिनांक 25–10–2023 दिन बुधवार को वाराणसी जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 1176/2023 दिनांक 05–09–2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए वाराणसी में **दिनांक 25–10–2023 को गठित युगलपीठ निरस्त** की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों/पीठ कार्यालयों को सूचित किया जाये।

ह0–26–09–2023.
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/1273/2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ गोरखपुर।
3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/ विवरण/वेव अधिकारी/ मुख्यालय।
4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।